निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 98 **वर्ष** 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी** के माह 07/2016 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर. एन. यादव व श्री राजेश डोभाल सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री नन्दन संह भण्डारी लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08/03/2018 से 19/03/2018 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में संपादित कया गया।

भाग-I

1- परिचयात्मकः इस इकाई के लेखा अ भलेखों की वगत लेखापरीक्षा दिनांक 13/07/2016 से 23/07/2016 तक श्री भीम सेन व मनोज खंडुरी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी व श्री अक्षय रूडोला लेखापरीक्षक द्वारा श्री दिनेश रमोला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में निष्पादित की गई थी। जिसके अंतर्गत माह 05/2015 से 06/2016 तक के लेखा भलेखों की जाँच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2016 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

जनपद नैनीताल वधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी, कालाढुंगी एवं लालकुआ के अंतर्गत व भन्न मार्गो, पुलो, भवनो के नवनिर्माण एवं उनके पुनः निर्माण / सुधार का कार्य।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

` लाख में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	--	--	558.21	558.21	5484.54	5484.54	--	--
2015-16	--	--	609.57	609.57	10195.71	10195.71	--	--
2016-17	--	--	640.82	640.82	4272.24	4272.24	--	--
2017-18	--	--	805.26	720.28 upto 02/2018	3824.15	3741.53	--	82.62

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
	शून्य					

(ii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'ए' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव, उत्तराखंड शासन
2. प्रमुख अ भयंता /वभागाध्यक्ष , लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड
3. मुख्य अ भयंता, लोक निर्माण वभाग
4. अधीक्षण अ भयंता, लोक निर्माण वभाग
5. अ धशासी अ भयंता, लोक निर्माण वभाग

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी** को आच्छादित किया गया।समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रथक-प्रथक जारी कए जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/ 2016 व 02/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। हल्द्वानी के अंतर्गत हल्द्वानी क्षेत्र की सडको के सौंदर्यीकरण का कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .....के आधार पर किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड का विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 15/01/2018 से 20/01/2018 को निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 09/2017 तक की गई।

5. फार्म 51: माह 02/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 246782.49

भाग द्वितीय ` 356110.91

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 02/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण अग्रिम ` 80,52,766.65

(ख) सामग्री क्रय ` शून्य

(ग) नगद परिशोधन ` शून्य

(घ) निक्षेप ` 11,77,49,714.50

(ङ) भण्डार ` (-)27655798.00

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-1 : **Existing painted surface** मे **resurfacing** के कार्य पर राजकोष पर `1.74 करोड़ का अ धभार, ठेकेदार से ` 88.57लाख की रॉयल्टी वसूली न कया जाना व वत्तीय नियम व बजट मेनुयल के वरुद्ध `85 लाख (राजस्व) वभागीय प्राप्ति शीर्ष -0059 में डालने के स्थान पर निक्षेप पंजिका मे अवरूध्द रखा जाना।

नैनीताल वधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी के अंतर्गत हल्द्वानी क्षेत्र के मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग 87 के कमी0 82 से 91 तक का प्रभाग) सौंदर्यीकरण कार्य हेतु शासनादेश संख्या 1098/III/(2)/14-63(प्रा.आ.) 2013 दिनांक 20 फरवरी 2014 द्वारा ` 2189.65 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। शासनादेश के शर्तोनुसार **(xi)** के अनुसार यदि स्वीकृत कये जा रहे कार्य के सापेक्ष कोई कार्य पूर्व मे स्वीकृत है अथवा अन्य वभाग के अंतर्गत स्वीकृत कया गया है तो ऐसे कार्यो की स्वीकृति स्वत: निरस्त समझी जाये।कार्य हेतु प्रा व धक स्वीकृति प्रा0 मुख्य अ भयन्ता, लोक निर्माण वभाग, हल्द्वानी द्वारा पत्रांकः4644/(2) /यातायात/ 2014 हल्द्वानी दिनांकः 1/09/2014के माध्यम से कुल लागत `2189.65 लाख की प्रदान की थी।

अ भलेखो के अनुसार यह मार्ग प्रभाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रपुर के अधीन थी और प्रा व धक स्वीकृति की टिप्पणी संख्या 10 के वरुध्द (प्रभाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से व धवत अनुमति दिनांक 22/12/2014 से पूर्व अनुबन्ध गठित) अधीक्षण अ भयंता द्वारा प्रथम अनुबन्ध मेसेर्स वुडहिल इनफ्रास्ट्रक्चर ल मटेड, गाजियाबाद के साथ अनुबन्ध संख्या/24/**SE** दिनांक 3-12-2014 अनुबं धत रा श ` 18.95 करोड़ जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ 24/12/2014 व कार्य समाप्ती की निर्धारित ति थ 23/03/2016 थी व रोड फर्नीचर के कार्य हेतु अनुबन्ध संख्या 9/एसई- 2/15-16 दिनांक 6-11-2015 लागत `99.61 लाख द्वारा मेसेर्स निप्प्न साइनेज इण्डिया प्राइवेट ल मटेड, हल्द्वानी (कार्य प्रारम्भ 6/11/2015 व कार्य समाप्ती की निर्धारित ति थ 05/05/2016 थी) के साथ गठित कया था। कार्य की वत्तीय व भौतिक प्रगति के अनुसार कार्य पर कुल `20.10 करोड़ (02/2018 प्रपत्र-64 के अनुसार) व्यय दर्शाया जा रहा था जब क ठेकेदार के उपलब्द अंतिम देयक के अनुसार कुल भुगतान `21.22 करोड़ (सी0 सी0 एल0 मद से `20.63 करोड़ + डी0 सी0 एल0 मद-रोड कटिंग चार्जस से `0.59 करोड़) कया गया था तथा चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण कार्य से संबन्धित दोनो अनुबन्धो का कार्य एम0बी0 व अंतिम भुगतान वाउचर के अनुसार क्रमश: 23/10/2016 व 27/2/2017 पर पूर्ण कये गए थे और दोनों अनुबन्धो के वचलन, भन्नता व समय वृद् ध मुख्य अ भयंता व प्रमुख अ भयंता द्वारा स्वीकृत कये गए थे। ले कन अ भलेखो की जांच मे निर्माण कार्य के निष्पादन मे निम्न तथ्य प्रकाश मे आये :

1. कार्य के संबं धत माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की जॉच में पाया गया क ठेकदार के देयकों से 81.94 लाख (RBM7694.34 cum, स्टोन ब्लास्ट 35007.08

व रेत 1121.96cum) की रायल्टी वसूली जानी थी जब क चालो एवं अंतिम देयक के अनुसार ठेकेदार के देयक से रायल्टी की कोई कटोती नहीं की गयी है जो वत्तीय हस्तपुस्तिका व राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश मे वद्यमान व्यवस्था के वरुद है। आगे यह भी पाया गया क ठेकेदार द्वारा इस सम्बंध मे क्रेशर अथवा अन्य जगहो से खरीद गई सामग्री का कोई वाउचर / रसीद / रवाना खण्ड को प्रमाण के रूप मे प्रस्तुत नहीं कये थे और खण्ड द्वारा ठेकेदार द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर ठेकेदार के अंतिम देयक से देय रायल्टी की कटौती नहीं की है जो वद्यमान व्यवस्था के वरुद्ध है। ठेकेदार द्वारा दिया गया शपथ पत्र खरीद गई सामग्री के ववरण न दिये जाने के कारण प्रमा णत कया जाना सम्भव भी नहीं है। इस के अतिरिक्त खण्ड द्वारा यह भी सुनिश्चित नहीं कया गया क ठेकेदार द्वारा कुल कतनी मात्रा गोला नदी / अन्य सोत्र से अथवा क्रेशर से प्राप्त की थी और क्या इस पर देय रायल्टी की कटौती हुई है अथवा नहीं।

2. Paragraph 21 of UP Financial Hand Book volume-V Part I and paragraph 81 and 82(iii) of उत्तराखंड budget manual lays down that the departmental authority are required to see whether all revenue receipts due to Government are correctly and properly assessed and credited into Government account without undue delay. Such receipts shall not be utilised towards departmental expenditure without proper authorisation by the Government।
खण्ड को इस मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग 87 के कमी. 84 से कमी. 89.200) पर टेलीक्म्युनिकेशन कंसल्टेंसी इं डया ल मटेट द्वारा (28/08/2015) रोड कटिंग चार्जेस के रूप में 1.44 करोड़ धनरा श प्रदान की थी। अ भलेखों में पाया गया क खण्ड ने इस मद से उक्त मार्ग पर प्राप्त रोड कटिंग चार्जेस (1.44 करोड़) में से 0.59 करोड का व्यय राष्ट्रीय राजमार्ग 87 के कमी. 84 से कमी. 89.200 के कटिंग वाले स्थानो पर मरम्मत इसी अनुबंध (अनुबंध संख्या 24/ SE दिनांक 3-12-2014) द्वारा कया ले कन शेष धनरा श रु 85 लाख (राजस्व) वभागीय प्राप्ति शीर्ष -0059 में डालने के स्थान पर (8843- स वल डपॉज़िट) निक्षेप पंजिका में अवरुद्ध रखा है जो क वत्तीय नियम व बजट मेनुयल के वरूध्द है।

3. इस मार्ग के क॰मी॰ 82,83,85,86 एवं 87 में प्रभाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा नवीनीकरण का कार्य कया जाना था जिस कारण से खंड द्वारा वस्तृत आगणन में existing painted surface में resurfacing का प्रावधान नहीं कया गया था जिसका अनुमोदन (12/2014) प्रभाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा दिया गया था व इसके अंतर्गत गठित अनुबंध 24/ SE दिनांक 3-12-2014 लागत रु 18.95 करोड़ में इस कार्य

को नहीं कया गया था ले कन खंड द्वारा अन्य कार्यो के साथ साथ इस निर्माण कार्य हेतु शासन से शासनादेश संख्या 1368/III/(2)/16-69 (प्रा.आ.) 2015 दिनांक 21 मार्च द्वारा रु 355.95 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त की तद उपरांत प्रा व धक स्वीकृति प्रा॰ मुख्य अ भयंता, लोक निर्माण वभाग, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक: 3273/(2) /यातायात/ 2015 हल्द्वानी दिनांक: 30-05-2016 के माध्यम से कुल लागत रु 355.95 लाख की प्रदान की और अन्य कार्यो के साथ-साथ इस निर्माण कार्य हेतु अधीक्षण अ भयंता द्वारा अनुबंध संख्या 9/SE दिनांक: 04-06-2016 लागत रु 348.78 लाख का मेसेर्स इंद्रप्रस्था कन्स्ट्रकशन को॰ , राजनगर गाजियाबाद के साथ गठित कया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ 04/06/2016 व कार्य समाप्ति की निर्धारित ति थ 18/07/2016 थी। खण्ड यह जानते हुए क इस मार्ग की देखरेख / प्रभाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग रूद्रपुर के अधीन है और उनके द्वारा नवीनीकरण का कार्य कया जाना था। खण्ड द्वारा Existing painted surface में resurfacing के कार्य कये जाने हेतु प्रभाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति / अनुमोदन प्राप्त नहीं कया जब क ठेकेदार के अंतिम देयक के भुगतान 289.62 में से 1.74 करोड़ का व्यय (02/2018) Existing painted surface में resurfacing के कार्य पर कया गया था जिसका अतिरिक्त अ धभार, जिससे बचा जा सकता था, राज्य सरकार के कोष पर पड़ा। इसके अतिरिक्त अ भलेखों में कार्य के संबं धत माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणकों की जांच में पाया गया क Existing painted surface में resurfacing हेतु ठेकेदार द्वारा अनुबंध डी.बी.एम. का कार्य छोड़कर केवल बी.सी. कार्य कया है। ठेकेदार के देयकों से 6.63 लाख (RBM व स्टोन ब्लास्ट व रेत 84.65 cum) की रायल्टी वसूली शपथ पत्र के आधार पर नही की गयी थी। गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में थर्ड पार्टी assurance कसी संस्थानों में भी नहीं कराया गया था।

उपरोक्त के संबंध में इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क प्रपत्र 64 के व्यय व ठेकेदार के अन्तिम भुगतान देयक में अन्तर का समायोजन ट्रांसफर एंट्री (08/03/2018) के द्वारा कया गया। मार्ग पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का स्वा मत्व है बी.एम./एस.डी.बी.सी. का कार्य गोला नदी के ग्रट से नहीं कया जा सकता है। इस आशय का शपथ पत्र ठेकेदार द्वारा दिया गया है। Existing painted surface में resurfacing के लए 355.95 लाख का आगणन 18/01/2016 को शासन को प्रे षत कया गया था और ठेकेदार द्वारा इस कार्य के रोयल्टी के वाऊचर्स खण्ड को प्रस्तुत कर दिये गये है। खण्ड द्वारा निक्षेप पंजिका में 85.00 लाख अवरूद्ध रखे जाने के संबंध में कोई आख्या नहीं दी। खण्ड का उत्तर तर्क संगत इस लए नहीं है क्यों क

उपरोक्त कार्य पर बी.एम./एस.डी.बी.सी. के साथ साथ चौड़ीकरण का कार्य भी कया गया था जिसमें रिवर बेड मटेरियल व डब्ल्यूएमएम का कार्य भी कया गया था एवं उपयोग की गयी वद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत सामग्री पर रायल्टी की कटौती उस समय नहीं की जा सकती जब ठेकेदार द्वारा वाऊचर/रसीद/रवाना खण्ड को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करेंगा न क शपथ पत्र को आधार बनाकर। जब क राष्ट्रीय राजमार्ग 87 के कमी. 82.000 से 91.000 का स्वा मत्व प्रभाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का है व उनके द्वारा नवीनीकरण कार्य कया जाना था इस कारण Existing painted surface में resurfacing के कार्य राजकोष पर 1.74 करोड़ का अ धभार पड़ा एवं खण्ड द्वारा यह कार्य बिना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रा धकरण से व धवत अनुमति लए ही कया गया था।

अतः Existing painted surface में resurfacing के कार्य पर राजकोष पर 1.74 करोड़ का अ धभार, ठेकेदार से 88.57 लाख की रायल्टी वसूली न कया जाना व वत्तीय नियम व बजट मेनुयल के वरूद्ध 85 लाख (राजस्व) वभागीय प्राप्ति शीर्ष - 0059 में डालने के स्थान पर निक्षेप पंजिका में अवरूद्ध रखा जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 : वन नियमावली 1980 व दिये गये प्रमाण पत्र के वपरीत आर क्षत वन भू म पर पेयजल व्यवस्था, वधुत ट्रान्सफर एव कर्मचारियो हेतु आवासीय भवनो के निर्माण पर `19.82 लाख का अनिय मत व अलाभकारी व्यय।

नैनीताल मे हल्द्वानी बाईपास मार्ग के कमी0 13 मे स र्कट हाउस का निर्माण (पेयजल व्यवस्था, वधुत ट्रान्सफर एव कर्मचारियो हेतु आवासीय भवनो का निर्माण) कार्य हेतु कुल लागत ` 374.95 लाख (साज सज्जालागत ` 107.03 लाख व पेयजल व्यवस्था, वधुत ट्रान्सफर एव कर्मचारियो हेतु आवासीय भवनो का निर्माण लागत ` 167.92 लाख) की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 464/iii/(2)/08-53(प्रा.आ.) 2007 दिनांक 26 जून 2008 को प्राप्त हुई थी।

खंड मे उपलब्ध अ भलेखो/पत्रावली मे पाया गया क पेयजल व्यवस्था, वधुत ट्रान्सफर (ट्रान्सफर ब्लॉक 1 डोरमेट्री 1 = कुल 2) एव कर्मचारियो हेतु आवासीय भवनो (आवासीय श्रणी 3 का 1 व आवासीय श्रेणी 2 के 20= कुल 21) का निर्माण लागत ` 167.92 लाख हेतु 0.30 है। वनभू म का प्रत्यावर्तन गैर वनभू म कार्य हेतु कया जाना था जिसके लए खंड को वन संरक्षक द्वारा 10/5/2011 को व र्णत भू म हाथी कॉरीडोर के भाग व आर क्षत वन भू म होने के कारण वनभू म का प्रत्यावर्तन गैर वनभू म कार्य हेतु स्वीकृति प्रधान नहीं की उसके उपरांत खंड ने प्रभागीय वन धकारी को पत्र संख्या 247/4 सी दिनांक 25-1-2016 द्वारा इस प्रस्ताव को पुन र्वचार कए जाने हेतु लखा गया ले कन उनके द्वारा स्पष्ट कया गया क इस प्रस्ताव को पुन र्वचार कए जाना उनके स्तर से सम्भव नहीं है। आगे पत्रावली मे पाया गया क खंड द्वारा प्रपत्र 14 मे प्रस्ता वत भू म पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने/कए जाने का प्रमाण पत्र भी दिया गया था जब क इस प्रमाण पत्र व वन वभाग नियमावली 1980 के वपरीत निर्माण कार्य पर खण्ड द्वारा `19.82 लाख व्यय (वर्ष 2008-09 मे `9.82 लाख व 2009-10 मे 10 लाख प्रपत्र-64 व 81 के अनुसार) पेयजल व्यवस्था व वधुत ट्रान्सफर आदि पर दर्शाया गया था जिसके साक्ष्य/वाउचर खण्ड द्वारा लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

इस और इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा स्वीकार्य कया गया क इस निर्माण कार्य पर खण्ड द्वारा `19.82 लाख का व्यय कया गया है व जब क प्रमाण पत्र व वन वभाग नियमावली 1980 के वपरीत निर्माण कार्य कए जाने के सन्दर्भ मे कोई जवाब नहीं दिया। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है क निर्माण कार्य पर `19.82 लाख का अनिय मत व अलाभकारी व्यय कया गया है।

अत: प्रमाण पत्र व वन वभाग नियमावली 1980 के वपरीत आर क्षत वन भू म पर पेयजल व्यवस्था, वधुत ट्रान्सफर एव कर्मचारियो हेतु आवासीय भवनो के निर्माण पर `19.82 लाख का अनिय मत व अलाभकारी व्यय का प्रकरण उच्च अ धकरियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 :- प्रतिभूति धनरा श `1.87 करोड़ के दायित्व का सृजन।

जुलाई 2014 से पूर्व सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श कोषागार मे जमा होती थी तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती हैं। माह जुलाई 2014 से ठेकेदारो के देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन कया गया। ऑन लाइन भुगतान मे ठेकेदार के देयक से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनरा श भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार मे जमा हो रही हैं।

खंड की निक्षेप पंजिका 2014-15 व 2017-18 की जांच मे पाया गया क Deposit Part-II के अनुसार जून 2014 तक ठेकेदारो से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श ` 1,87,43,004.00 थी। जो लेखा परीक्षा ति थ तक अवशेष थी। शासन के पत्रांक-2059/III(2) 19 सामान्य/20 दिनांक-09.10.2017 के अनुसार उक्त धनरा श को बचत के रूप मे रखा जाना व उसी से नियमानुसार भुगतान कया जाना चाहिए था जब क लेखा परीक्षा ति थ तक कोई भी भुगतान नही कया गया था।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया हैं क खंड द्वारा उच्चा धकारियों से धनावटन व दिशा-निर्देश हेतु पत्राचार कया गया हैं तथा धनावटन नही होने के कारण प्रतिभूति धनरा श ठेकेदारो को वापस नही की जा सकी हैं। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्यो क शासन के पत्रांक-2059/III(2) 19 सामान्य/20 दिनांक-09.10.2017 के अनुसार उक्त धनरा श को बचत के रूप मे रखा जाना व उसी से नियमानुसार भुगतान कया जाना चाहिए था

अतः जुलाई 2014 से पूर्व ठेकेदारो से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श `1,87,43,004.00 (एक करोड़ सतासी लाख तैतालीस हजार चार रुपये मात्र)का प्रत्याहरण(Refund) नही कये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN-1

प्रस्तर-1 : अवरुद्ध धनरा श ` 76.02 लाख।

वत्तीय हस्त पुस्तका भाग 6 के पैरा संख्या 519 (ब)मे निहित प्रावधानों के अनुसार खण्ड should promptly surrender the un-expended balance, if any, of the deposit with the approval of the divisional officer.

खण्ड के निक्षेप मद भाग-III के अ भलखो की जांच मे पाया गया क खण्ड द्वारा 8 (सलग्नक के अनुसार) निर्माण कार्यो के वत्तीय हस्त पुस्तका भाग 6 के पैरा संख्या 519 (ब)मे निहित प्रावधानों के वपरीत ` 76.02 लाख वगत 5 से 10 साल से अवरुद्ध रखा गया है। इन कार्यो मे देवीय आपदा के तत्का लक प्रकृति कार्य जैसा क: i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments. ii) Repair of breached culverts.iii) Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.iv) Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges., repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic. के कार्यो से संबन्धित 2 कार्य (*संलग्नक 1-के अनुसार)* कये गए थे ले कन इन कार्यो की अवशेष बचत धनरा श `7.52 लाख को वगत 4 से 7 वर्ष होने के उपरांत भी सम र्पत नहीं कया गया है क्यो क यह कार्य तात्का लक प्रकृति के होते है व इन को तुरन्त कया जाना होता है इस सम्बंध मे जिला धकारी को पूर्ण कए गये कार्यो की उपयो गता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कया जाना व कार्य के फोटोग्राफ व मूल्याकन कया जाना जरूरी है इस सम्बंध मे खंड द्वारा उपयो गता प्रमाणपत्र, मूल्याकन पत्रावली लेखा परीक्षा को उपलध्द/प्रस्तुत नहीं की गयी। इस के अतिरिक्त वगत 5 से 10 साल से निम्न व र्णत कार्यो की धनरा श निक्षेप मद भाग-III मे अवरुद्ध रखा गया था।

	कार्य का नाम	धनरा श
1.	राज्यकीय महिला मह र्ष वद्यालय मे कक्षा का निर्माण	304495
2.	थाना काठगोदाम मे बाउंड्रीवाल का निर्माण	249027
3.	थाना लालकुवा मे बाउंड्रीवाल का निर्माण	138000
4.	थाना चोरगलय मे वाच टावर मे बाउंड्रीवाल का निर्माण	169578
5.	थाना कलदूंगी मे वाच टावर मे बाउंड्रीवाल का निर्माण	429993
6.	हल्द्वानी शहर के व भन्न मार्ग	5558843
7.	कुल अवरुद्ध धनरा श	**6849936**

उपरोक्त के सम्बंध मे पूछे जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क अवशेष धनरा श को वापस करने की कार्यवाही की जा रही है।खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है वगत 4 से 10 वर्ष होने के उपरांत भी अवशेष धनरा श को ग्राहक वभाग को सम र्पत

कए जाने हेतु हस्ततारित नहीं कया गया है जो वत्तीय हस्त पुस्तका मे निहित प्रावधानों के वरुध्द है।

अतः देवी आपदा. के 2 कार्यो की अवशेष बचत धनरा श `7.52 लाख व अन्य वभागो से प्राप्त धनरा श `68.50 लाख को वगत 4 से 10 वर्ष होने के उपरांत भी सम र्पत/हस्तांतरित न कये जाने व अवरूध्द रखे जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

निपेक्ष पंजिका के अनुसार अलग अलग वभागो से व भन्न कार्यो से प्राप्त धनरा श के सापेक्ष अवशेष धनरा श (02/2018)				
निपेक्ष पंजिका के अनुसार आइटम नंबर	माह जिस पर प्राप्त कया गया	वभाग	कार्य का नाम	अंतिम अवशेषउपलब्द / धनरा श (02/2018)
8/8	01/2007	उच्च शक्षा निदेशालय	राज्यकीय महिला मह र्ष वद्यालय मे कक्षा का निर्माण	304495
10/10	4/2008	पु लस महानिदेशालय देहारादून	थाना काठगोदाम मे बाउंड्रीवाल का निर्माण	249027
29/30	1/2018		थाना लालकुवा मे बाउंड्रीवाल का निर्माण	138000
11/11	5/2008		थाना चोरगलय मे वाच टावर मे बाउंड्रीवाल का निर्माण	169578
	5/2008		थाना कलदूंगी मे वाच टावर मे बाउंड्रीवाल का निर्माण	429993
23/24	7/2011	जिला अ धकारी नैनीताल	देवीय आपदा के अंतर्गत गोड़ा गाजर के शीतग्रस्त मार्ग का निर्माण	137002
52/54	7/2013		देवीय आपदा के अंतर्गत रामपुर रोड ट्रांसपोर्ट नगर चोराहे से गॅस गोदाम मार्ग का सुधार	615106
49/51	4/2013		हल्द्वानी शहर के व भन्न मार्ग	5558843
योग				**7602044**

STAN-2

प्रस्तर-1 :- रोड कटिंग चार्जेस कम दरो से वसूलने के कारण ` 3.00 लाख की हानि।

लोक निर्माण वभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी/ प्राइवेट संस्थान जैसे/जल निगम, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल /पाइप लाइन बिछाने के लए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य कया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में धनरा श संबन्धित वभाग द्वारा खण्ड को प्रदान की जाती है।

अ धशासी अ भयंता निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, हल्द्वानी के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क आइ डया सेलुलर ल0 द्वारा राज्य मार्ग संख्या-41 के रामनगर-कालाढुंगी मोटर मार्ग के नैनीताल बाईपास से कालाढुंगी बस स्टैंड तक Under ground Telecom Cable डालने के लए जिला धकारी नैनीताल के माध्यम से दिनांक-18.05.2016 को आवेदन कया था। खंड द्वारा आगणन बनाने के बाद रोड कटिंग के एवज मे आइ डया सेलुलर ल0 से ` 5,37,300.00 धनरा श की मांग की गयी थी। तथा खंड को यह धनरा श दिनांक 01.09.2016 को प्राप्त हो गयी थी। इसके पश्चात दिनांक 24.10.2016 को खंड द्वारा आइ डया सेलुलर ल0 को केबिल डालने के लए रोड कटिंग हेतु अनुमति प्रदान की गयी। खंड द्वारा आइ डया सेलुलर ल0 को केबिल डालने की अनुमति देने से पूर्व ही कार्यालय प्रमुख अ भयंता, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड देहारादून के पत्रांक-1099/10 प्रकीर्ण-उत्तराखंड/2016 दिनांक 22.09.2016 के द्वारा रोड कटिंग चार्जेस की दरे पुनरी क्षत कर दी गयी थी।

चूं क खंड द्वारा केबिल डालने की अनुमति देने से पूर्व ही रोड कटिंग चार्जेस की दरे पुनरी क्षत हो गयी थी अत: खंड को पुनरी क्षत दरो से आइ डया सेलुलर ल0 से चार्जेस लए जाने चाहिए थे।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया हैं क रोड कटिंग हेतु आवेदन/आगणन पुनरी क्षत दर निर्धारण से पूर्व के होने के कारण कम चार्ज कया गया हैं। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्यो क खंड द्वारा केबिल डालने की अनुमति नयी दरो के लागू होने के बाद दी गयी थी। तथा कंपनी द्वारा अनुमति मलने के बाद ही रोड पर केबिल

डाली थी। जो की नयी दरे लागू होने के बाद डाली गयी थी। अतः नयी दरो से ही आइ डया सेलुलर ल0 से रोड कटिंग चार्जेस की मांग की जानी चाहिए थी। जिससे खंड को ` 3,00,456.00 धनरा श अ धक प्राप्त होती।

अतः खंड की श थलता के कारण रोड कटिंग चार्जेस से ` 3,00,456.00 की हानि का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

क्रम स.	कार्य का नाम	रोड कटिंग चार्जेस जो काटी गई			रोड कटिंग चार्जेस जो काटी जानी चाहिए थी		
		मात्रा	दर	कुल	मात्रा	दर	कुल
1	कच्चा	1053	450	473850	1053	700	737100
2	पक्का	27	2350	63450	27	3728	100656
	कुल			537300			837756

कुल अंतर:- 837756-537300=300456

STAN-3

प्रस्तरः- ` 1.03 लाख का भू म प्रतिकर वतरण न करने व धनरा श को निक्षेप मद भाग-III मे रखे जाना।

वत्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के पैरा संख्या 519 (ब)मे निहित प्रावधानों के अनुसार खण्ड should promptly surrender the un-expended balance, if any, of the deposit with the approval of the divisional officer.

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, हल्द्वानी के निक्षेप मद भाग-III के अ भलखो की नमूना जांच मे पाया गया क खण्ड को 01/2016 मे SLO से फतेहपुर बसानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रतिकर के भुगतान हेतु ` 1,02,807.00 धन प्राप्त हुआ था। जिसका लेखा परीक्षा ति थ तक भुगतान नही कया गया था।

अ भलेखो व पत्रावली मे आगे पाया गया क उक्त धनरा श का वतरण न होने के कारण खंड द्वारा निक्षेप मद भाग-III मे अवरूध्द रखा गया है जो क वत्तीय नियमो का उल्लंघन है।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क काश्तकारों द्वारा मांग नही कए जाने के कारण प्रतिकर की धनरा श नही बांटी गयी हैं। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्यो क यदि प्रतिकर की धनरा श बांटी नही जा सकी तो धनरा श सम र्पत (surrender) की जानी चाहिए थी। प्रतिकर के भुगतान नही करने का प्रकरण इसी अधीक्षण अ भयंता,2nd वृत, लोक निर्माण वभाग, नैनीताल के अंतर्गत अ धशासी अ भयंता निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, रामनगर मे भी देखा गया था जिसमे माननीय न्यायालय जिला जज नैनीताल ने पुनरीक्षण या चका संख्या-180/2017 मे पारित आदेश मे प्रारम्भिक प्रतिकर ` 877078.00 के बजाय ` 1.69 करोड़ की धनरा श देने के आदेश दिये हैं। यदि इस खंड के काश्तकर भी न्यायालय की शरण मे जाते हैं तो काश्तकर को नए स र्कल रेट से अ धक प्रतिकर देने की संभावना हैं।

अतः खंड द्वारा ` 1.03 लाख का भू म प्रतिकर वतरण न करने व धनरा श को निक्षेप मद भाग-III मे रखे जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1.	67/1990-91	--	3
2.	44/1995-96	--	1
3.	27/1997-98	--	1,2
4.	41/1997-98	1	--
5.	51/1998-99	--	1,2,3,4
6.	51/1999-2000	1	1
7.	69/1999-2000	2	--
8.	60/2000-01	1	--
9.	11/2001-02	2	--
10.	88/2005-06	1	--
11.	44/2007-08	1	1
12.	66/2008-09	1,2	1
13.	82/2010-11	1	3
14.	40/2012-13	1,2,3	--
15.	33/2013-14	--	3,4
16.	32/2015-16	--	1,2,3,4
17.	31/2016-17	1	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रेषित किए गए थे तथ्य से अवगत कराया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी** के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

2. सतत् अनियमितताएः
   (i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री रणजीत सिंह	अधिशासी अभियंता	(विगत लेखापरीक्षा से अब तक)

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।
   (i) श्री गणेश सिंह (विगत लेखापरीक्षा से अब तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र - 2